जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1451

दिनांक : 28/2/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **शा. नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एल-एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :-

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय में P.G.D.C.A./B.A./B.Sc./B.COM. और L.L.B. के लिए एक ही Computer Lab है जो सर्वथा अपर्याप्त है L.L.B. के लिए निर्मित नए भवन में अलग से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कम्प्यूटर प्रयोगशाला विकसित की जानी चाहिए।
2. विगत निरीक्षण के उपरान्त उस समिति की अनुशंसाओं के परिपालन में कुछ पुस्तकें क्रय की गई है परंतु छात्र संख्या को देखते हुए यह अभी भी अपर्याप्त है छात्र हित में कम से कम 50,000.00 रूपये मूल्य की पुस्तकें और क्रय की जानी चाहिए।
3. पुस्तकालय में पत्रिकाओं के Display की और छात्रों के बैठकर पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधा विकसित की जानी चाहिए।
4. BCI के द्वारा निर्धारित एक सेक्शन में 60 छात्र से अधिक नहीं होने चाहिए परंतु वास्तविक छात्र संख्या इससे कहीं अधिक है अतः महाविद्यालय को नए सेक्शन खोलने चाहिए ओर तब उसके अनुरूप पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखा जाना चाहिए।
5. अध्यापकों को बंधा हुआ वेतन देने के बजाए UGC द्वारा निर्धारित वेतनमान देकर पूर्ण वेतन दिया जाना चाहिए।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शा. नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर।
2. सचिव, बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज ऐवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)